



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-08072026-274275
CG-RJ-E-08072026-274275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3530]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3530]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3692(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड-ii, दिनांक 19 नवम्बर 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर-पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्या का.आ. 5279 (अ) 18 नवम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के वाव थराद जिले में लुणी-समदडी-भीलडी रेलवे लाईन के दोहरीकरण परियोजना (विशेष रेल परियोजना) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर और टाइम्स ऑफ़ इंडिया में तारीख 28 नवम्बर 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और जबकि, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित गांवों के सर्वेक्षणों के संबंध में, निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है:

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वाव थराद संभाग में लूनी-समदरी-भीलड़ी दोहरीकरण (विशेष रेलवे परियोजना) के लिए वाव थराद के लखानी तालुका में बुनियादी सुविधाओं के साथ या बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र.स.	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवास क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अवास क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	भूस्वामी/खाताधारक का नाम
1	गोढा	387	निजी	956	0.0956	कृषि	रबारी गमनभाई हमीरभाई
2	गोढा	386	निजी	372	0.0372	कृषि	रबारी गमनभाई हमीरभाई
3	गोढा	388	निजी	446	0.0446	कृषि	रबारी भूराभाई गमनभाई
4	गोढा	412	निजी	303	0.0303	कृषि	रबारी सविताबेन वलाभाई रबारी वरजुबेन वलाभाई रबारी जजुबेन वलाभाई रबारी जाबुबेन वलाभाई रबारी लिलुबेन वलाभाई
5	गोढा	413	निजी	475	0.0475	कृषि	रबारी हितेशभाई पंचभाई
परियोजना में प्रस्तावित अवास भूमि :				2552	0.2552		

[फा. सं. ऊपर/मुख्यालय/एस एंड सी/443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 7th July, 2026

S.O. 3692(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Western Railway, Construction organization), Notification number, S.O. 5279 (E) dated 18th November, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 19th November, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of "Luni-Samdari-Bhildi Doubling Railway Project (Special Rail Project) of the District Vav Tharad in the state of Gujarat.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “ Sandesh, Divya Bhaskar, Gujrat Samachar ” and “Times Of India” dated 28th Nov. 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received by the competent authority within the stipulated time period regarding the surveys of the villages mentioned in the schedule attached to this notification.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declare that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief details of land with or without infrastructure in Lakhani Taluka of Vav Tharad for Luni-Samdari-Bhildi Doubling (Special Railway Project) in Vav Tharad Division of Gujarat State

Sr. No.	Village	Survey No.	Type of Land	Acquired Area (in Meter)	Acquired Area (in Ha.)	Nature of Land	Name of Land owners
1	Godha	387	Private	956	0.0956	Agriculture	Rabari Gamanbhai Hamirbhai
2	Godha	386	Private	372	0.0372	Agriculture	Rabari Gamanbhai Hamirbhai
3	Godha	388	Private	446	0.0446	Agriculture	Rabari Bhurabhai Gamanbhai
4	Godha	412	Private	303	0.0303	Agriculture	Rabari Savitaben Valabhai Rabari Varjuben Valabhai Rabari Jajuben Valabhai Rabari Jabuben Valabhai Rabari Liluben Valabhai
5	Godha	413	Private	475	0.0475	Agriculture	Rabari Hiteshbhai Panchabhai
Total area to be Acquired:				2552	0.2552		

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]
VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)